रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5—सितम्बर 11, 2015 (भाद्रपद 14, 1937)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5—SEPTEMBER 11, 2015 (BHADRA 14, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	841
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	839
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	2235
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1151
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	381
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	789
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	841
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	839
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2235
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1151
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	381
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	789
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2015

सं. एफ.9–43/2006–यू.3 (ए)––जबकि केन्द्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 6 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या 9–43/2006/यू3(ए) द्वारा यह घोषित किया है कि स्वामी राम विद्यापीठ, स्वामी राम नगर, पोस्ट ऑफिस डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड जिसमें केवल चिकित्सा कॉलेज आता है, उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ उस तारीख से सम–विश्वविद्यालय होगा जिस तारीख से स्वामी राम विद्यापीठ अपने चिकित्सा कालेज (हिमालयन चिकित्सा विज्ञान संस्थान) को संबद्ध विश्वविद्यालय अर्थात् हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखंड से असंबद्ध करता है। यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने के अध्यधीन जारी की गई है:

(i) स्वामी राम विद्यापीठ और इसके चिकित्सा कालेज, (हिमालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान) की चल–परिसंपत्तियां विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों के भविष्य के हित में 'सम–विश्वविद्यालयी' संस्था का प्रबंध और उच्चतर शिक्षा मानकों का रख–रखाव करने के लिए सृजित न्यास के पूर्ण नियंत्रण में होंगी।

(ii) स्वामी राम विद्यापीठ को यूजीसी के अनुदेशों के अनुसार यूजीसी के पूर्व अनुमोदन के बिना परिसम्पत्तियों के निर्धारण, परिसम्पत्तियों का अन्यत्र प्रयोग (Non-Diversion) और यूजीसी परिसंपत्तियों आदि के सम–विश्वविद्यालय को बंद करने या विलय करने की दशा में उपबन्ध बनाने और नियंत्रण में लेने के मामलों के संबंध में कानूनी वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

(iii) स्वामी राम विद्यापीठ और न्यास जो इसे संचालित करेंगे, उन्हें ऐसे कार्यकलाप प्रारंभ नहीं करने चाहिए जिनकी प्रकृति व्यावसायिक और लाभ कमाने की हो।

(iv) स्वामी राम विद्यापीठ या इसकी कोई भी घटक इकाई ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम कार्यक्रम संचालित नहीं करेगी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उपयुक्त सांविधिक परिषदों जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दंत परिषद् आदि द्वारा जैसा भी मामला हो, विधिवत् रूप से अनुमोदित न हों।

(v) प्रवेश, विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आदि को प्रारंभ करने के मामले में संगत सांविधिक परिषदों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के सभी निर्धारित मानक और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और इनका विद्यापीठ और इसकी संघटित इकाई द्वारा कठोरता से पालन किया जाएगा।

(vi) स्वामी राम विद्यापीठ अपने चिकित्सा कालेज द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के संबंध में केवल उन विद्यार्थियों को डिग्री आदि प्रदान करेगा जो विद्यार्थी उस तारीख के बाद जिसको यूजीसी अधिनियम 1956 के उद्देश्य के लिए यह अधिसूचना जारी की गई थी संस्थाओं/कालेजों में नामांकित हुए हों।

(vii) जो छात्र इस अधिसूचना से पहले विद्यापीठ/चिकित्सा कालेज में पहले से ही नामांकित हों वे विद्यार्थी अपना अध्ययन वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय नामतः हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड के तहत जारी रखेंगे, जो ऐसे पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की जांच करेगा और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने पर डिग्री प्रदान करेगा जिन्हें वे वर्तमान में कर रहे हों।

(viii) स्वामी राम विद्यापीठ या उसकी संघटक इकाई कोई भी डिग्री जैसा भी मामला हो, जो यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट न हो, प्रदान नहीं करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों की नाम पद्धतियां यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हों।

(ix) स्वामी राम विद्यापीठ, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और अन्य उपयुक्त सांविधिक परिषदों को संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों, छात्रों इत्यादि के प्रवेश की क्षमता, के संबंध में अपेक्षित नवीकरण का अनुमोदन/अनुमति, जैसा भी मामला हो, निर्धारित समय—सीमा के तहत नियमित रूप से प्राप्त करेगा।

(x) स्वामी राम विद्यापीठ यूजीसी के दिनांक 12 मार्च, 2007 के परिपत्र संख्या एफ6—1(7)/2006 (सीपीपी—1) के तहत जारी अनुदेशों के अनुसार वैध प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।

(xi) स्वामी राम विद्यापीठ यूजीसी और दूरस्थ शिक्षा परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम नहीं चलाएगा।

(xii) स्वामी राम विद्यापीठ यूजीसी का अपेक्षित पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई भी अध्ययन केन्द्र/कैंपस से बाहर केन्द्र नहीं चलाएगा।

(xiii) स्वामी राम विद्यापीठ उस यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों का कार्यान्यन और उनका कड़ाई से पालन करेगा जिसने अवसंरचना सुविधाओं के क्षेत्रों में सुधार और अनुसंधान कार्यकलाप के लिए संबंधित संस्थाओं का दौरा किया था और जांच की थी।

(xiv) संस्थान जब भी आवश्यक हो, यूजीसी के परामर्श और सहमति से अपने संगम ज्ञापन और नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित और अद्यतन करेगा।

(xv) स्वामी राम विद्यापीठ और इसकी संघटक इकाई यूजीसी, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और उपयुक्त सांविधिक परिषदों (जैसे एमसीआई, डीसीआई आदि) और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सम—विश्वविद्यालय के रूप में संस्थाओं को अधिसूचित करने से संबंधित समय—समय पर निर्धारित मानकों और दिशा—निर्देशों का पालन करेगा।

2. और जबकि, स्वामी राम विद्यापीठ ने, स्वामी राम विद्यपीठ को मूल सोसायटी अर्थात् हिमालयन हास्पिटल ट्रस्ट संस्थान (एचआईएचटी) में विलय और स्वामी राम विद्यपीठ का नाम एचआईएचटी विश्वविद्यालय में बदलने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात्, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 4 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 9—43/2006/यू 3 द्वारा स्वामी राम विद्यापीठ की मूल समिति अर्थात् एचआईएचटी को विश्वविद्यालय में बदलने हेतु प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से अनुमोदित कर दिया है जिसमें केवल चिकित्सा कालेज ही है।

3. और इसके अतिरिक्त, जबकि, एचआईएचटी, ने दिनांक 19.8.2013 को प्रबंध बोर्ड द्वारा पास किए गए संकल्प के बाद यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के खण्ड 22.4 के अनुसरण में सम—विश्वविद्यालय के दर्जे को समाप्त करने के लिए 21 अगस्त 2013 के अपने पत्र द्वारा भारत सरकार को आवेदन किया है। विनियमों के खण्ड 22.4 में कहा गया है कि यदि कोई विश्वविद्यालयवत् संस्था, सम—विश्वविद्यालय संस्थान के दर्जे से स्वयं को या अपने संघटकों को इसके दर्जे को समाप्त करना चाहता है तो वह केन्द्र सरकार की पूर्व—अनुमति से ऐसा कर सकता है। ऐसे दर्जे को तभी समाप्त किया जाएगा जब उसमें तब नामांकित छात्रों को अंतिम बैच विश्वविद्यालय संस्था से उत्तीर्ण हो जाए।

4. बाद में, केन्द्र सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के अपने पत्र संख्या 9—43/2006 यू 3(ए) द्वारा सम—विश्वविद्यालय के दर्जे को समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने की सलाह दी क्योंकि यह मामला सम—विश्वविद्यालय के वर्ग 'ग' से संबंधित मामला है जो वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

5. और जबकि, एचआईएचटी विश्वविद्यालय ने सम विश्वविद्यालय के दर्जे को समाप्त करने के लिए अनुरोध के साथ अन्तवर्ती आवेदन संख्या 67 दायर किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 5.5.2014 के आदेश से यह स्पष्ट किया है कि इस न्यायालय द्वारा पास किया गया यथास्थिति आदेश प्रतिवादी संख्या 33 अर्थात् एचआईएचटी विश्वविद्यालय (आईए संख्या 67) के समक्ष कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा जिसमें दर्जा समाप्त करने की मांग और भारत संघ सरकार से दर्जा समाप्त करने का प्रमाणपत्र मंजूर करने की मांग की गई है।

6. अब इसलिए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह घोषित किया है कि एचआईएचटी को सम—विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने वाली दिनांक 6 जून 2007 की अधिसूचना को दाखिल किए गए विद्यार्थियों के अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने की तारीख से दर्जा समाप्त किया हुआ माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एचआईएचटी सम—विश्वविद्यालय के संस्थापक का यह मुख्य उत्तरदायित्व होगा कि वह उनके द्वारा नामांकित विद्यार्थियों के अंतिम बैच के छात्रों के हितों की रक्षा करें।

ईशिता रॉय
संयुक्त सचिव

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त 2015

संकल्प

संख्या 14/2/2011—हिन्दी——इस मंत्रालय के दिनांक 13.05.2013 के संकल्प सं. 14/2/2011—हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार गठन करने का निर्णय किया है :

1.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री	अध्यक्ष
2.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
	गैर—सरकारी सदस्य	
	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित लोक सभा के दो सदस्य	
3.	श्री नबा कुमार सरनीया, संसद सदस्य	सदस्य
4.	श्री शिव कुमार चनाबसप्पा, उदासी, संसद सदस्य	सदस्य
	राज्या सभा से दो सदस्य	
5.	श्री रणविजय सिंह जूदेव, संसद सदस्य	सदस्य
6.	श्री मोहम्मद अली खान, संसद सदस्य	सदस्य
	संसदीय राजभाषा समिति से नामित दो सदस्य	
7.	श्री ताम्रध्वज साहू, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
8.	श्री तरूण विजय, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
	अखिल भारतीय हिन्दी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि	
9.	श्रीमती बी.एस. शांताबाई (प्रतिनिधि, अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान संघ), सचिव, कर्नाटक महिला हिन्दी. सेवा समिति, 178, IV — मेन रोड, चामराजपेट, बेंगलूरू — 560018	सदस्य
10	श्री भगवान दास पटैरया (प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद), डी—11, सेक्टर—36, नोएडा—201303	सदस्य
	मंत्रालय द्वारा नामित गैर—सरकारी सदस्य	
11.	श्री शैलेन्द्र शर्मा, एच. 3—बी, निशांत कॉलनी, 74 बंगलॉस, भोपाल, 462003	सदस्य
12.	श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, 113, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ	सदस्य
13.	श्रीमती तपन तोमर, ए.बी.—1, सनराईज कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, सेन्ट जोजफ गर्ल्स कान्वेंट स्कूल के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिनकोड—462001	सदस्य
14.	श्री बेगराज खटाना, 1882/139, गणेश पुरा, त्रीनगर, दिल्ली—110035	सदस्य
	राजभाषा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	
15.	श्री तारेश, मकान नं. 52, किराड़ी गांव, दिल्ली—110086.	सदस्य
16.	श्री सुधीर हरिलाल रमानी, 103, साई विला, न्यू शालीमार सोसायटी के सामने, नए टेलीफोन एक्सचेंज के पास, उल्हासनगर—421003.	सदस्य
17.	श्री डेमो दादा, अरूणाचल कम्यूनिटी कॉलेज, विवेक विहार, जैली काम्पलैक्स ईटानगर, पोस्ट बॉक्स नं. 212, अरूणाचल प्रदेश—791111.	सदस्य
	सरकारी सदस्य	
18.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
19.	सचिव, राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य

20.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव (प्रशा.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
23.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
24.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, फरीदाबाद	सदस्य
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाप्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशलन प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद	सदस्य
27.	निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली	सदस्य
28.	निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की	सदस्य
29.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
30.	सचिव, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
31.	निदेशक (राजभाषा), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
32.	आर्थिक सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य —सचिव

2. कार्य

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और संबद्ध मामलों पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को सलाह देगी ।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल, निम्नलिखित व्यवस्था के अध्यधीन, उसके गठन की तारीख से तीन वर्षों का होगा :

(क) समिति में नामजद संसद सदस्य, उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे ।

(ख) समिति के पदेन—सदस्य उस समय तक ही समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहे जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं; और

(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा त्याग—पत्र दे देने के परिणामस्वरूप समिति में कोई रिक्ति हो जाती है तो उनके स्थान पर नियुक्त सदस्य शेष कार्यकाल तक पद धारण करेंगे।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । दिल्ली के बाहर भी समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है ।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर—सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86—रा.भा.(क—2) में निहित दिशा—निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक—एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के.एम.एम. अलिमाल्मिगोति
आर्थिक सलाहकार

———————

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 27th May 2015

No.F.9-43/2006-U.3(A)—Whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act 1956, the Central Government vide its Notification No.9-43/2006/U3(A) dated 6th June, 2007, on the advice of the UGC, declared that Swami Rama Vidyapeeth, Swami Rama Nagar, P.O. Doiwala, Dehradun, Uttarakhand, consisting of Medical College only, shall be Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act, with effect from the date the Swami Rama Vidyapeeth disaffiliates its Medical College (Himalayan Institute of Medical Sciences) from the affiliating University, viz. Hemwanti Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal), Uttarakhand. The Notification was issued subject to fulfillment of following conditions:

I. The moveable assets of Swami Rama Vidhyapeeth and its Medical College (Himalayan Institute of Medical Sciences) shall come under the total control of the Trust created to manage the 'deemed-to-be university' institution in the interest of future of students, members of faculty, employees and for maintaining the standards of higher education.

II. Swami Rama Vidyapeeth should submit a legal undertaking as per the instruction of the UGC pertaining to the issues of earmarking of assets, non-diversion of assets without prior approval of the UGC and making a provision for the UGC to take control of assets, etc. in the event of winding up of or dissolution of the deemed-to-be university.

III. Swami Rama Vidhyapeeth and the Trust that will manage it, should not undertake any activities that are of commercial and profit making in nature.

IV. Swami Rama Vidhyapeeth or any of its constituent unit shall not offer or conduct any course programme that is not duly approved by the Ministry of Health and Family Welfare and relevant Statutory Councils like Medical Council of India (MCI), Dental Council of India(DCI), etc. as the case may be.

V. All the prescribed norms and procedures of the relevant Statutory Councils and others authorities concerned in the matter of admission, intake capacity of students, starting of new courses /programmes, etc. will continue to be in force, and shall be strictly compiled with by the Vidyapeeth and its constituent unit.

VI. Swami Rama Vidhyapeeth shall award degrees, etc in respect of the courses run by its Medical College only to those students who are enrolled with the institutions/ colleges subsequent to the date on which this Notification takes effect for the purpose of the UGC Act, 1956.

VII. As for the students who are already enrolled with the Vidyapeeth/ Medical College prior to the date of this Notification, they shall continue to pursue their courses of the study under affiliation to the present affiliating university, namely, the Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal), Uttarakhand, which shall examine and award degrees to them on successful competition of the courses/ programmes they are pursing there presently.

VIII. Swami Rama Vidhyapeeth or it constituent unit shall not offer/award, as the case may be, any degrees that are not specified by the UGC. It will also ensure that the nomenclatures of the degrees awarded by it are specified by the UGC under Section 22 of the UGC Act, 1956.

IX. Swami Rama Vidhyapeeth shall regularly obtain the requisite 'renewal' of approval / permission of Ministry of Health and Family Welfare and other relevant Statutory Councils, as the case may be well within the prescribed time limit, in respect of the courses offered, intake capacity of students, etc.

X. Swami Rama Vidhyapeeth shall take all the required steps to get valid accreditation in terms of instructions issues by the UGC vide its circular No. F.6-1(7)/2006 (CPP-I) dated the 12th March, 2007.

XI. Swami Rama Vidhyapeeth shall not conduct any distance education programmes without prior approval of UGC and Distance Education Council (DEC).

XII. Swami Rama Vidhyapeeth shall not run any study centre / off-campus centre without obtaining the requisite prior approval of the UGC.

XIII. Swami Rama Vidhyapeeth shall strictly comply with and implement the suggestions made by the UGC's Expert Committee that visited and inspected the institutions concerned for improvement in the areas of infrastructural facilities and research activities /ambience

XIV. As and when necessary, the Institute shall suitably amend and update its Memorandum of Association and Rules in consultation and concurrence with the UGC.

XV. Swami Rama Vidhyapeeth and its constituent unit will abide by all the norms and guidelines laid down by the UGC, Ministry of Health and Family Welfare and other relevant Statutory Councils (such as MCI, DCI, etc.) & other authorities concerned, from time to time pertaining to the institutions notified as Deemed-to-be Universities.

2. And whereas, Swami Rama Vidyapeeth submitted a proposal to amalgamate Swami Rama Vidyapeeth with the parent society i.e. Himalayan Institute of Hospital Trust (HIHT), and to change the name of Swami Rama Vidyapeeth to HIHT University. Thereafter, the Central Government vide its Notification No.9-43/2006/U3 dated 4th March, 2008, on the advice of UGC, approved the proposal for amalgamation of Swami Rama Vidyapeeth with the parent society i.e. HIHT and changed its name to HIHT University comprising medical college only with immediate effect.

3. And further whereas, HIHT, after a resolution passed by the Board of Management on 19.08.2013, applied to the Government of India vide its letter dated 21st August, 2013 for withdrawal of the status of Deemed to be University in accordance with the Clause 22.4 of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010. Clause 22.4 of the Regulations states that "If an institution deemed to be university wishes to withdraw itself or its constituents from the status of 'institution deemed to be university', it may do so with the prior permission of the Central Government. Such withdrawal shall take effect only after the last batch of students then enrolled, passes out of the institution deemed to be university".

4. Subsequently, the Central Government vide its letter No.9-43/2006/U.3A dated 30th September, 2013 advised the Institute to seek direction from Hon'ble Supreme Court for withdrawal of Deemed to be University status as the matter related to Category 'C' Deemed to be Universities matter is currently sub-judice in Hon'ble Court.

5. And whereas, HIHT University filed an Interlocutory Application No. 67 with the prayer to surrender the Deemed University status. The Hon'ble Supreme Court vide its order dated dated 05/05/2014 made it clear that the status quo order passed by this Court will not stand in the way of respondent No. 33 i.e. HIHT University (IA No.67) seeking withdrawal and the Union of India in granting the issue of withdrawal certificate.

6. Now, therefore, in exercise of power conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government hereby declares that the Notification dated 6th June, 2007 declaring HIHT as an Institution Deemed to be University may be treated as withdrawn with effect from passing out of the last batch of admitted students. Further, it would be sole responsibility of the promoter of HIHT Deemed University to safeguard the interests of the last batch of students enrolled by them.

ISHITA ROY
Joint Secretary

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 17th August 2015

Resolution

No. 14/2/2011-Hindi – In supersession of resolution No. 14/2/2011-Hindi, dated 13th May, 2013 of the Ministry of Water Resources, River Development &Ganga Rejuvenation the Government of India has decided to constitute Hindi Salahkar Samiti as under:

1.	Minister of Water Resources, River Development &Ganga Rejuvenation	Chairperson
2.	Minister of State for Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation	Vice-Chairman

Non-Official Members

Two Members of Parliament from Lok Sabha nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

3.	Shri Naba Kumar Sarania, Member of Parliament	Member
4.	Shri Shivkumar Chanabasappa Udasi, Member of Parliament	Member

Two Members of Parliament from Rajya Sabha

5.	Shri Ranvijay Singh Judev, Member of Parliament	Member
6.	Shri Mohd. Ali Khan, Member of Parliament	Member

Two Members of Parliament from Parliamentary Committee on Official Language		
7.	Shri Tamradhwaj Sahu, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
8.	Shri Tarun Vijay, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
Representatives of All India Hindi Institutes and kendriya Sachivalay Hindi Parishad		
9.	Smt. B.S. Shantabai (Representative, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh), Secretary, Karnataka Mahila Hindi Seva Samiti, 178, IV-Main Raod, Chamrajpet, Bangalooru-560018	Member
10.	Shri Bhagwan Das Pateirya (Representative, Kendriya Sachivalay Hindi Parishad), D – 11, Sector – 36, NOIDA - 201303	Member
Non-Official Members nominated by the Ministry		
11.	Shri Shailendra Sharma, H-3 B, Nishant Colony, 74 Bungalows, Bhopal, Madhya Pradesh, 462003.	Member
12.	Shri Vindhyavasini Kumar, 113, Vidhayak Niwas, Rajendra Nagar, Lucknow	Member
13.	Smt. Tapan Tomar, A.B.-1, Sunrise Colony, Idgah Hills, Near St. Joseph Girls Convent School, Bhopal, Madhya Pradesh, Pincode - 462001	Member
14.	Shri Begraj Khatana, 1882/139, Ganesh Pura, Trinagar, Delhi-110035	Member
Representatives nominated by Department of Official Language		
15.	Shri Taaresh, H. No. 52, Kirari Village. Delhi – 110086	Member
16.	Shri Sudhir Harilal Ramani, 103, Sai Villa, Opp. New Shalimar Society, Near New Telephone Exchange, Ulhasnagar - 421003	Member
17.	Shri Demo Dada, Arunachal Community College, Vivek Vihar, Jelly Complex, Itanagar, Post Box No. 212, Arunachal Pradesh, Pin-791111	Member
Official Members		
18.	Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation	Member
19.	Secretary, Department of Official Language and Hindi adviser to the Government of India	Member
20.	Additional Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation	Member
21.	Joint Secretary (Admn.), Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation	Member
22.	Joint Secretary, Department of Official Language	Member
23.	Chairman, Central Water Commission, New Delhi	Member
24.	Chairman, Central Ground Water Board, Faridabad	Member
25.	Chairman & Managing Director, WAPCOS Ltd., New Delhi	Member
26.	Chairman & Managing Director, National Projects Construction Corporation Limited, Faridabad	Member
27.	Director, Central Soil And Materials Research Station, New Delhi	Member
28.	Director, National Institute of Hydrology, Roorkee	Member
29.	Director General, National Water Development Agency, New Delhi	Member
30.	Secretary, Upper Yamuna River Board, R.K. Puram, New Delhi	Member

31. Director (OL), Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation Member

32. Economic Adviser, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation Member-Secretary

2. Function

The Samiti will advise the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on matters relating to progressive use of Hindi for official purpose and allied issues.

3. Tenure

The term of the Samiti will be three years from the date of its constitution provided that:

(a) A Member, who is a Member of Parliament, ceases to be a Member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-Officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti; and

(c) If a vacancy arises in the Samiti due to death or resignation of a member, the member appointed that capacity shall hold office for the residual term.

4. General

The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station also.

5. Travelling and Other Allowances

The Non-Official Members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Samiti as per the guidelines of Department of Official Language contained in the office Memorandum No. 11/20034/4/86-OL (A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rate and rules as amended from time to time by Government of India.

Order

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

Ordered also that Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K.M.M. ALIMALMIGOTI
Economic Adviser

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I–SEC.1]—90 Copies.